भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4092

25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने में चुनौतियाँ

4092. श्री जगदम्बिका पाल:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने के दौरान उनके समक्ष आ रही व्यावहारिक चुनौतियों से निपटने हेतु किए जा रहे ठोस उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मंत्रालय किसानों द्वारा रसायन आधारित खेती से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने के पहले कुछ वर्षों में उनके समक्ष प्राय: आने वाली उपज में उतार-चढ़ाव की स्थिति का समाधान किस प्रकार करने की योजना बना रहा है;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान किसानों की आय में होने वाली हानि अथवा उत्पादन में अस्थिरता की क्षतिपूर्ति के लिए कोई प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अनेक छोटे और सीमांत किसानों के पास जैव-आदान तैयार करने के लिए पशुधन जैसे आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं है और यदि हां, तो मंत्रालय एनएमएनएफ के ढांचे के अंतर्गत इन किसानों के लिए किस प्रकार समावेशिता सुनिश्चित करता है; और

(ड.) उन क्षेत्रों के लिए विकसित किए जा रहे आकलन योग्य समाधानों का ब्यौरा क्या है जहां जीवामृत के लिए स्वदेशी पशुधन अथवा कच्चे माल की सुलभता सीमित है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): प्राकृतिक खेती को आसानी से अपनाने के लिए, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) में व्यापक उपायों की परिकल्पना की गई है, जिसमें जागरूकता और प्रदर्शन कार्यक्रम, प्रशिक्षण, किसानों को निरंतर सहायता और वित्तीय सहायता शामिल है। एनएमएनएफ में किसानों की आय में सहायता के लिए प्राकृतिक रूप से उगाए गए रसायन मुक्त उत्पादों के लिए प्रमाणन और बाजार संपर्क की परिकल्पना भी की गई है।

इस योजना के तहत, नामांकित किसानों को छोटे भू-स्वामित्व वाले खेतों में प्राकृतिक खेती शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, स्थानीय प्राकृतिक खेती संस्थान आदि जैसे प्रशिक्षण संस्थान किसानों के खेतों में प्राकृतिक खेती के मॉडल प्रदर्शन फार्मों पर प्राकृतिक खेती के पैकेज, प्राकृतिक खेती के इनपुट की तैयारी, सॉइल हेल्थ मेनेजमेंट पद्धति आदि पर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। प्रशिक्षण संस्थानों से जुड़े किसान मास्टर प्रशिक्षकों को सभी प्राकृतिक खेती के पैकेज और कृषि इनपुट की तैयारी में समूहों को सहायता करना है। इस योजना में किसानों की मदद करने और सामुदायिक जागरूकता के लिए प्रत्येक प्राकृतिक खेती क्लस्टर में दो सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों/कृषि सखियों की तैनाती की परिकल्पना की गई है।

प्रशिक्षित किसानों को, इन पद्धतियों के एनएफ पैकेज के लिए योजना में 2 वर्ष तक प्रति वर्ष प्रति किसान 4000 रुपये का आउटपुट आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। प्रत्येक किसान अधिकतम एक एकड़ क्षेत्र तक एनएमएनएफ के तहत सहायता के लिए पात्र होगा।

(घ) एवं (ङ): एनएमएनएफ के अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक कृषि इनपुट की स्थानीय उपलब्धता के लिए 10,000 आवश्यकता-आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्रो का प्रावधान किया गया है, ताकि इनपुट की खरीद के लिए बाहरी बाजारों पर उनकी निर्भरता कम हो सके। इन बीआरसी को ग्रामीण कृषि उत्पादक किसानों, एफपीओ, एसएचजी, पीएसीएस/सहकारी समितियों, स्थानीय ग्रामीण उद्यमियों, केवीके आदि द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर गोशालाओं या राज्य द्वारा चिन्हित किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग जैसे संबंधित विभागों के साथ समन्वय के माध्यम से, जीवामृत जैसे प्राकृतिक कृषि इनपुट की व्यापक उपलब्धता के लिए स्केलेबल समाधान की परिकल्पना की गई है।

*****